सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 19, बुधवार, शाके 1943-नवम्बर 10, 2021

Kartika 19, Wednesday , Saka 1943- November 10, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2019

जी.एस.आर.372 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा **प्रदत्त** शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल**,** राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम**, 1999** को और संशोधित करने के लिए**,** इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-(**1)** इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम**, 2019** है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से **प्रवृत्त** होंगे।

2. नियम 6 **का संशोधन**.- राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम**, 1999,** जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है**,** के नियम **6** के उप-नियम (**1)** के खण्ड (क) के विद्यमान परन्तुक (**V**) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा**,** अर्थात्:-

"(vi) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी**,** ऐसे व्यक्ति**,** जो आयोग द्वारा संचालित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा**, 2011** द्वारा नियुक्त किये गये थे किन्तु पुनरीक्षित परिणाम में चयनित नहीं रहे हैं**,** सेवा से नहीं हटाये जायेंगे। तथापि**,** ऐसे चयनित नहीं रहे अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल**,** उक्त परीक्षा के पुनरीक्षित परिणाम में बाद में चयनित (प्रतिस्थापित) अभ्यर्थियों के परिवीक्षाकाल के पूर्ण होने की तारीख तक बढ़ाया जायेगा**,** यदि वे राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम**, 2019** के प्रारंभ की तारीख को लगातार उस पद को धारण करते हैं। ऐसे चयनित नहीं रहे अभ्यर्थियों द्वारा **2013** से और **2016** के पूर्व दी गई सेवा की कालावधि किसी भी अन्य प्रयोजन**,** जिसमें परिवीक्षाकाल**,** अनुभव और आश्वासित कैरिअर प्रगति (ए.सी.पी.) सम्मिलित है**,** के लिए गणनीय नहीं होगी।**"**

3. नियम 37 **का संशोधन**.- उक्त नियमों के नियम **37** के उप-नियम (**1)** के विद्यमान अन्तिम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा**,** अर्थात्:-

"यह कि नियम **6** के उप-नियम (**1)** के खण्ड (क) के परन्तुक (**VI**) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता आयोग द्वारा तैयार की गयी और भेजी गयी योग्यता सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी। ये व्यक्ति**,** कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा**, 2011** में चयनित व्यक्तियों से और उस क्रमिक वित्तीय वर्ष में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों से रैंक में कनिष्ठ होंगे।**"**

[सं. एफ 3(2)डीओपी/ए-II/2018]
राज्यपाल के नाम और आदेश से,
जय सिंह,
उप शासन सचिव।

वचनबंध

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा**, 2011** के माध्यम से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम**, 1999** के अधीन कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-**II** (अब कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्त हुआ था**,** इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं कार्मिक विभाग (क-ग्रुप-**2)** द्वारा जारी अधिसूचना सं. **3(2)**डीओपी/ए- **II /18** दिनांक ..... **2019** के संबंध में किसी न्यायालय में कोई मुकदमा और दावा फाइल नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

स्थान ..... नाम .....
पदनाम.....
कार्यालय जिसमें नियोजित है .....
पता.....

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, May 24, 2019

G.S.R.372 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 6.- After the existing proviso (v) to clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 of the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"(vi) Notwithstanding anything contained in these rules, the persons who were appointed but de-selected in revised result of the Lower Division Clerk Combined Competitive Examination, 2011 conducted by the Commission shall not be removed

from the service. However, the period of probation of these de-selected candidates shall be extended upto the date of completion of probation period of later selected (replaced) candidates in revised result of the said examination, if they hold the post continuously on the date of commencement of the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service (Amendment) Rules, 2019. The period of service rendered by these de-selected candidates from 2013 and prior to 2016 shall not be countable for any purpose which would include probation period, experience and ACP."

3. Amendment of rule 37.- After the existing last proviso to sub-rule (1) of rule 37 of the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"that the seniority interse of the persons appointed under proviso (vi) to clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 shall be determined according to the merit list prepared and sent by the Commission. These persons shall rank junior to the persons selected in the Lower Division Clerk Combined Competitive Examination, 2011 and the persons regularly appointed in that respective financial year."

[No. F. 3(2) DOP/A-II/2018]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

UNDERTAKING

I ---------- Son/D/o/Shri ---------- ----- appointed on the post of L.D.C. (now Junior Assistant) under the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999 through the Lower division Clerk Combined Competitive Examination, 2011 conducted by the Rajasthan Public Service Commission, hereby declare that I will not any claim and file any litigation in any Court regarding notification No. 3(2)DOP/A-II/18 dt. .....2019 issued by Department of Personnel (A Gr.-II).

Date .....

Signature----------

Place ....

Name.....
Designation.....
Office in which employed.....
Address.....

Government Central Press, Jaipur.